

कर्मचारी राज्य बीमा निगम (श्रम एवं रोजगार मंत्रालय] भारत सरकार) EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION (Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)



मुख्यालय/Headquarters पंचदीप भवन] सीआईजी मार्ग] नई दिल्ली-110002 Panchdeep Bhawan, CIG Marg, New Delhi- 110002 Email: <u>dpc-medhq@esic.nic.in</u> Website: <u>www.esic.nic.in</u> / <u>www.esic.in</u>

A-33012/1/2024-DPC(M)

Date: 08/10/2024

<u> कार्यालय आदेश संख्या : 05/2024</u>

विभागीय पदोन्नति समिति (D.P.C.) की अनुशंसा के आधार पर, अध्यक्ष, कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने जी.डी.एस.ओ. उप संवर्ग में, राज्य सरकार से आमेलित (Absorbed), वेतनमान लेवल-12 में मुख्य चिकित्सा आधिकारी पद पर कार्यरत निम्नलिखित चिकित्सा अधिकारियों को वेतनमान लेवल-13 में मुख्य चिकित्सा आधिकारी (गैर-कार्यात्मक चयन ग्रेड) पद पर, दर्शाई गई तिथियों के अनुसार पदोन्नति (अविभावी प्रावधान/ योजना, निगम के भर्ती विनियमों आदि के अंतर्गत) के आदेश दिए है:

On the recommendations of the Departmental Promotion Committee (D.P.C.), Chairman, Employees' State Insurance Corporation has ordered the promotion of the following Medical officers absorbed from State Government in GDMO Sub-cadre, working as Chief Medical Officer in level 12 of pay matrix to the post of Chief Medical Officer (NFSG) in level 13 of pay matrix (under prevailing Provisions/Scheme, Recruitment Regulations of ESIC etc.) from the date(s) shown against their names: -

संख्या (S. No.)	पहचान संख्या (ID Number)	चिकित्सा अधिकारी का नाम (Name of the medical officer)	तैनाती स्थान (Place of posting)	आमेलन के समय चयनित वरिष्ठता (Seniority opted at the time of absorption)	पदोन्नति तिथि (Date of Promotion)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	(122055)		FOLCH	· 11 - 11	
1	(123955)	Dr. Madhu P R	ESICH, Asramam, Kerala	All India	25/08/2021

<u>तालिका-अ (Table-A)</u>

It may be noted: -

 जी.डी.एस.ओ उप संवर्ग में वे चिकित्सा अधिकारी, जो पदोन्नति की तारीख पर नियमित छुट्टी/ अध्ययन छुट्टी/प्रतिनियुक्ति/बाहय कार्य इत्यादि पर होने के समय उच्चतर स्केल में पदोन्नत हुए हैं, के मामले में, वास्तविक पदोन्नति उनके कार्यग्रहण करने की तारीख से प्रभावी होगी तथा उनके लौटने तक उन्हें कल्पित पदोन्नत किया जाएगा। In the event of a Medical Officer in GDMO Sub-cadre who is promoted in the higher scale, being on regular leave / study leave / deputation / foreign assignment etc. on the date of promotion, the actual promotion shall take effect from the date she/he assumes charge and notional promotion from the date of promotion.

2. चिकित्सा अधिकारी के वर्तमान नियंत्रक अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि पदोन्नत मुख्य चिकित्सा आधिकारी (गैर-कार्यात्मक चयन ग्रेड) द्वारा चिकित्सा आधार/अध्ययन के प्रयोजन के अतिरिक्त उपभोग की गई असाधारण छुट्टी की अवधि को छोड़ कर (i) मुख्य चिकित्सा अधिकारी की तिथि से (जी.डी.एस.ओ उप संवर्ग) में कुल 04 वर्षों की नियमित सेवा, निगम के संशोधित भर्ती विनियम 2021 में प्रकाशित भर्ती विनियमों के प्रावधानों के अनुसार, पूरी की जा चुकी है। किसी भी प्रकार की त्रूटि की सूचना मुख्यालय को प्रेषित की जाएगी ।

The present controlling officers of the promoted Chief Medical Officers (NFSG) shall ensure that after excluding the non-qualifying service period (if any) on account of dies non and EOL availed other than on Medical Grounds/ Study purposes, the Chief Medical Officer (NFSG) has completed total 04 years' regular service from the date of promotion to the post of CMO in ESIC in GDMO sub cadre as per provisions contained in revised Recruitment Regulations of ESIC notified in 2021. Any discrepancy shall be reported to ESIC Hqrs.

3. नियंत्रक प्राधिकारी अपने स्तर पर राष्ट्रीय प्रशिक्षण अकादमी क.रा.बी.नि. एवम् चिकित्सा प्रशासन शाखा-6, मुख्यालय से परामर्श करते हुए सुनिश्चित करें कि जनवरी 2021 में प्रकाशित भर्ती विनियमों के प्रावधानों के अनुसार प्रशिक्षण पूरा हो जाए

Controlling Officers at their level will ensure to complete the required training as per provisions contained in the revised Recruitment Regulation of GDMO Sub-cadre notified in January 2021 in consultation with NTA (National Training Academy), ESIC and Medical Administration Branch-VI, ESIC Hqrs.

4. 'तालिका अ' के कॉलम नंबर 5 में दिखाए गए विकल्प का उपयोग आमेलन के समय चिकित्सा अधिकारी द्वारा किया गया था। दिनांक 29/05/2018 की 174 वीं बैठक में कराबी निगम के अनुमोदन के पश्चात 01/06/2018 से सभी आमेलित चिकित्सा अधिकारी अखिल भारतीय वरिष्ठता से नियंत्रित होते हैं। आदेश में नामों के सामने वरिष्ठता विकल्प (आमेलन के समय) का उल्लेख करने में अत्यधिक सावधानी बरती गई है, तथापि वेतन निर्धारण आदेश जारी करने से पूर्व, इसे नियंत्रक प्राधिकारी के स्तर पर उनके रिकॉर्ड के साथ सत्यापित भी किया जाए और किसी भी प्रकार के अंतर को मुख्यालय को सूचित किया जाए।

The option shown in 'Table A' of Col. No.5 was exercised by the Medical Officer at the time of absorption. Subsequent to ESI Corporation approval in 174th meeting dated 29/05/2018 all absorbed Medical officers are deemed to be in the All India Seniority from 01/06/2018. Utmost care has been taken in mentioning seniority option against the names in the order, however, it shall Page 2 of 3

also be verified at the level of controlling authority with their records and any variation to be informed to Hqrs. Office, before issuing the pay fixation orders.

5. उपर्युक्त पदोन्नत मुख्य चिकित्सा आधिकारी (गैर-कार्यात्मक चयन ग्रेड) का वेतन सामान्य वेतन नियमावली और प्रतिमानकों में वर्णित एफआर 22(I)(ए)(1) के अंतर्गत नियत किया जाएगा तथा पदोन्नत अधिकारी पदोन्नति आदेश की तिथि के एक माह के अन्दर वेतन नियतन के सम्बन्ध में अपना विकल्प प्रस्तुत करेंगे।

The pay of the aforesaid Promoted Chief Medical Officers (NFSG) will be fixed as per the provisions of FR22(I)(a)(1) and they shall exercise their option for fixation within one month from the date of promotion order.

6. यह पदोन्नति समय-समय पर संशोधित क.रा.बी.निगम (कर्मचारीवृद एवं सेवा की शर्तों) विनियमावली, 1959 में निर्धारित नियम और शर्तों के अधीन होगी।

The promotion will be subject to such terms and conditions as laid down in ESI Corporation (Staff & Conditions of Service) Regulations, 1959, as amended from time to time.

7. पदोन्नत राज्य सरकार से आमेलित मुख्य चिकित्सा आधिकारी (गैर-कार्यात्मक चयन ग्रेड) की चिकित्सा आधीकारी के पद पर पदोन्नति की कथित सूची केवल पदोन्नति आदेश है, एवं किसी भी रूप में वरीयता सूची नहीं है।

The said list of promoted Chief Medical Officers (NFSG) absorbed from State Government is only promotion order to the post of Chief Medical Officers and not seniority list in any case.

(राजेश प्रसाद गुप्ता) सहा. निदेशक (विभागीय पदोन्नति प्रकोष्ठ) (डी.पी.सी, चि.प्र)

प्रतिलिपि : (ESIC website के माध्यम से—आवश्यक कार्रवाई हेतु)

- 1. संबंधित चिकित्सा अधिकारी को उनके नियंत्रक अधिकारी के माध्यम से।
- 2. संबंधित चिकित्सा अधीक्षक/डीन, क.रा.बी.निगम अस्पताल/मेडिकल कॉलेज ।
- 3. संबंधित क्षेत्रीय निदेशक।
- 4. संयुक्त निदेशक (वित्त)/उप निदेशक(वित्त) संबंधित,क.रा.बी.निगम अस्पताल।
- 5. चिकित्सा शाखा-IV/ चिकित्सा शाखा-VI
- गार्ड फाईल/अतिरिक्त प्रतियां।
- 7. वेबसाइट कंटेट मैनेजर को वेबसाइट पर अपलोड करने हेत्।